

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला
70/2019/प्रार्थना पत्र 23.07.2019 05.09.2019

उनवान

किशन गोपाल पिता लादू खाती नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- प्रार्थी

बनाम

- 1- जगदीश पिता भूरा खाती नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 2- रामकुंवार पिता कजोड़ धोबी नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 3- बालू पिता मांगू नाई नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 4- लाला पिता लादू मीणा नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 5- गोपाल पिता लादू मीणा नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 6- रामकिशन पिता कल्याण मीणा नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 7- रामस्वरूप पिता मांगू मीणा नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 8- रामकिशन पिता सेवा मीणा नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 9- लादूराम पिता मदनलाल महाजन नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- 10- शम्भूप्रसाद पिता रामस्वरूप महाजन नि० बांसेड़ा तह० फूलियाकलां
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बांसेड़ा पटवार हल्का बांसेड़ा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 23 आ०न० 1957/451 रकबा 0.28 है०, आ०न० 1958/452 रकबा 0.01, आ०न० 453 रकबा 0.37 है०, आ०न० 1954/454 रकबा 0.06 है०, आ०न० 859/1593 रकबा 0.06



है0, आ0न0 1960/1149 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1916/859 रकबा 0.02 है0, कुल किता 07 रकबा 0.90 है0 एवं खाता संख्या 24 आ0न0 366 रकबा 0.06 है0, आ0न0 367 रकबा 0.12 है0, आ0न0 368 रकबा 0.75 है0, आ0न0 369 रकबा 0.98 है0 कुल किता 04 रकबा 1.91 है0 भूमि स्थित है। पैरा नं0 1 में वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 10 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 में वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम बांसेड़ा पटवार हल्का बांसेड़ा तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 23 आ0न0 1957/451 रकबा 0.28 है0, आ0न0 1958/452 रकबा 0.01, आ0न0 453 रकबा 0.37 है0, आ0न0 1954/454 रकबा 0.06 है0, आ0न0 859/1593 रकबा 0.06 है0, आ0न0 1960/1149 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1916/859 रकबा 0.02 है0, कुल किता 07 रकबा 0.90 है0 एवं खाता संख्या 24 आ0न0 366 रकबा 0.06 है0, आ0न0 367 रकबा 0.12 है0, आ0न0 368 रकबा 0.75 है0, आ0न0 369 रकबा 0.98 है0 कुल किता 04 रकबा 1.91 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है किन्तु खाता संख्या 23 में दर्ज आ0न0 859/1593 रकबा 0.06 है0 प्रार्थी द्वारा बेचान किया जा चुका है तथा आ0न0 1916/859 रकबा 0.02 है गै0मु0 आबादी दर्ज है जिसकी नियमानुसार पत्थरगढ़ी के आदेश नहीं दिये जा सकते हैं। अतः उक्त शेष आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-



आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 1 लगायत 10 के आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बांसेड़ा पटवार हल्का बांसेड़ा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 23 आ0न0 1957/451 रकबा 0.28 है0, आ0न0 1958/452 रकबा 0.01, आ0न0 453 रकबा 0.37 है0, आ0न0 1954/454 रकबा 0.06 है0, आ0न0 1960/1149 रकबा 0.10 है0, कुल किता 05 रकबा 0.82 है0 एवं खाता संख्या 24 आ0न0 366 रकबा 0.06 है0, आ0न0 367 रकबा 0.12 है0, आ0न0 368 रकबा 0.75 है0, आ0न0 369 रकबा 0.98 है0 कुल किता 04 रकबा 1.91 है0 का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1100/- (अक्षरे एक हजार/एक सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां को भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा